दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

मंदिर हसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत बालिका का विवाह रोका गया

रायपुर (आरएनएस)। जिले के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के एक ग्राम में नाबालिग बालिका के विवाह की तैयारी की सूचना प्राप्त होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए संयुक्त टीम गठित कर बाल विवाह रोकथाम की कार्रवाई की गई। इस संयुक्त कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक नंदिनी ठाकुर, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के राज्य समन्वयक विपिन ठाकुर, संरक्षण अधिकारी संजय निराला, सेक्टर पर्यवेक्षक सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ममता गायकवाड (एकीकृत बाल विकास परियोजना, मंदिर हसौद), तथा जिला बाल संरक्षण इकाई रायपुर के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों द्वारा कड़ा विरोध किया गया, परंतु टीम द्वारा प्रभावी संवाद एवं समझाइश के माध्यम से बाल विवाह को रोका गया। बालिका की कक्षा पांचवीं की अंक सूची का परीक्षण किया गया, जिससे उसकी आयु 16 वर्ष 10 माह 14 दिन होना प्रमाणित हुआ। घटना स्थल पर लडक़ा एवं लडक़ी पक्ष के माता-पिता, दोनों ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। सभी की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता से बाल विवाह नहीं करने की शपथ ली गई एवं पंचनामा तैयार किया गया।

स्कूटी चोरी करने वाला चोर पकड़ाया

बलौदाबाजार (आरएनएस)। शहर की सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलम कॉलोनी से स्कूटी चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया है तथा उसके पास से चोरी का वाहन बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 30.03.2025 को प्राथी हेमंत वर्मा निवासी मंगलम कॉलोनी बलौदाबाजार द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसके पिताजी के नाम से पंजीकृत हीरो कंपनी स्कूटी क्रमांक सीजी 23 ॥5165 को दिनांक 24.03.2025 के शाम 6:30 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य घर के बगल से कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में धारा 303(2), 336(2) बीएनएस का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी लालू प्रसाद धृतलहरे को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त स्कूटी को चोरी कर, उसका नंबर प्लेट एवं स्कूटी गाड़ी के कुछ-कुछ चीजों को परिवर्तन कर, उसे छुपाकर रखना स्वीकार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी का स्कूटी बरामद किया गया है। कि आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

मुख्यमंत्री साय ने किया जोरा मॉल का भव्य शुभारंभ

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर में जोरा मॉल का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया और सभी के सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की। इस दौरान उन्होंने मॉल में सर्व सुविधायुक्त सिनेमा हॉल का शुभारंभ किया और राज्य सरकार के सुशासन पर आधारित एक वीडियो देखा। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राजधानी वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। यह नया प्रतिष्ठान लोगों को आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी सभी आवश्यक वस्तुएं, मनोरंजन और सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। इससे आसपास के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। साय ने कहा कि यह मॉल आने वाले समय में शहरी जीवनशैली को और अधिक सहज, समृद्ध और सुविधाजनक बनाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लगभग 12 वर्षों की यात्रा के बाद यह प्रतिष्ठान अपने वास्तविक स्वरूप में बनकर तैयार हुआ है। प्रतिष्ठान के संचालक अनुभवी है और उद्योगपति के रूप में उनके लंबे अनुभवों का लाभ इस नए प्रतिष्ठान को भी मिलेगा।

सीजीपीएससी घोटाला, नेताओं और अफ सर रडार पर, ईडी की जांच हुई तेज, जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस प्रमाण मिले

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाला में अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच तेज कर दी है। पहले इस मामले की जांच पुलिस, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही थी। सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर श्वष्ठ ने दर्ज की है, प्रारंभिक जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस प्रमाण मिले हैं। मामले में श्वष्ठ की एंट्री से हडक़ंप मच गया है। जांच में कई नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध है। बता दें कि ष्टक्चढ्ढ जांच में खुलासा हुआ कि बारनवापारा स्थित एक रिसॉर्ट में चयनित अभ्यर्थियों को पांच दिन तक परीक्षा की विशेष तैयारी कराई गई थी। यह रिसॉर्ट हेल्थ विभाग में पदस्थ एक महिला आईएएस अधिकारी के पति का बताया जा रहा है। अब इस महिला आईएएस और उनके पति को समन जारी करने की तैयारी चल रही है।

ये आरोपी हुए हैं गिरफ्तार

सीबीआई ष्टक्चढ्ढ ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है — तत्कालीन ष्टत्रक्कस्ष्ट चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, उप परीक्षा नियंत्रक ललित गनवीर, कारोबारी श्रवण गोयल, नितेश सोनवानी, साहिल सोनवानी, शशांक गोयल और भूमिका कटियार गोयल। ये सभी फिलहाल रायपुर जेल में हैं। श्वष्ठ अब कोर्ट से अनुमति लेकर इनसे पूछताछ करेगी।

हवाला के जरिए रुपए पहुंचा

ईडी श्वष्ठ की जांच का फोकस इस बात पर है कि अभ्यर्थियों के परिजनों और रिश्तेदारों ने परीक्षा पास कराने के लिए हवाला नेटवर्क के जरिए मोटी रकम चुकाई थी। यह पैसा नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचा, जिसकी कडिय़ां अब दिल्ली और कोलकाता तक जुड़ रही हैं।

जांच के घेरे में कई वीआईपी पर्सन

इस मामले में जिन लोगों के नाम जांच में सामने आए हैं, उनमें कई प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदार और परिवारजन शामिल हैं —

टामन सोनवानी के भतीजे नितेश, भाई के बेटे साहिल, बहू निशा कोसले और अन्य रिश्तेदार

तत्कालीन पीएससी सचिव जीवन किशोर का बेटा सुमित ध्रुव

राज्यपाल के पूर्व सचिव अमृत खलखो की बेटी नेहा और बेटा निखिल

ध्रुव की बेटी साक्षी

कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल

उद्योगपति का बेटा शशांक गोयल

मंत्री के ओएसडी के साढ़ की बेटी खुशबू बिजौरा

कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिम

उप परीक्षा नियंत्रक ललित गनवीर की रिश्तेदार मीनाक्षी गनवीर

गौरतलब है कि श्वष्ठ जल्द ही महासमुंद, रायपुर और बिलासपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी कर सकती है। दस्तावेजों की गहन जांच चल रही है और इस घोटाले में शामिल अन्य बड़े नामों का भी जल्द खुलासा हो सकता है। यह मामला छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक भर्तियों की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, वहीं श्वष्ठ की एंट्री के बाद अब आर्थिक लेनदेन की परतें भी खुलने लगी हैं।

विद्युत उपभोक्ताओं को लगेगा स्मार्ट मीटर का झटका, पावर वितरण कंपनी ने नियामक आयोग में लगाई याचिका, सरचार्ज के जरिए होगी वसूली!

रायपुररायपुर । आरएनएस

सुविधा के नाम पर घरों-दफ्तरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर अब ग्राहक पर भारी पडऩे वाले हैं. दरअसल, पावर वितरण कंपनी ने हाल ही में स्मार्ट मीटर सरचार्ज के नाम पर 367 करोड़ रुपए की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाई है. इस याचिका पर आयोग नए टैरिफ के निर्धारण के दौरान निर्णय लेगा.

प्रदेश में घरेलू कनेक्शनों में पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर के बदले स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है. अब तक साढ़े 11 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. वर्तमान में स्मार्ट मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जा रहा है. बताया गया कि यह नि:शुल्क लगेगा, परंतु पिछले दरवाजे से उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर लगाने का सरचार्ज वसूलने की तैयारी हो रही है.

हाल ही में वितरण कंपनी प्रबंधन की ओर से विद्युत नियामक आयोग में रिवाइज पिटिशन दाखिल किया गया है. इसमें स्मार्ट मीटर के नाम पर 367 करोड़ रुपए की मांग करते हुए नए टैरिफ में जोडऩे की बात कही गई है. प्रबंधन ने पूर्व में 4559 करोड़ रुपए का घाटा बताते हुए उसकी भरपाई टैरिफ से करने का आग्रह आयोग से किया था. अब 367 करोड़ रुपए जोडऩे के बाद 4926 करोड़ रुपए का अंतर आ गया है. इसकी भरवाई के लिए बिजली दर बढ़ाने पर सीधा भार उपभोक्ताओं पर आएगा.

जानकार बताते हैं कि वितरण कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग सीधे स्मार्ट मीटर के नाम से उपभोक्ताओं से भले ही सीधा पैसा नहीं ले, लेकिन सरचार्ज के नाम से यह वसूली हो सकती है. याने सांप भी मर जाएगा, और लाठी भी नहीं टूटेगी. हालांकि, अभी नए टैरिफ के लागू होने में समय है. आयोग में रिक्त दो सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के बाद नए टैरिफ को लेकर जनसुनवाई और फिर टैरिफ की घोषणा जून तक होने की संभावना है.

स्मार्ट मीटर के प्री पैड होने में कुछ माह और- वर्तमान में जिन उपभोक्ताओं के घरों अथवा दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उसकी रीडिंग और बिलिंग वर्तमान व्यवस्था के तहत ही हो रही है. प्री पैड व्यवस्था के लिए कुछ माह और इंतजार करना होगा. प्री पैड सिस्टम प्रारंभ करने का निर्णय पावर वितरण कंपनी प्रबंधन को लेना होगा. स्मार्ट मीटर में मोबाइल की तरह उपभोक्ता बैलेंस डालकर बिजली का उपयोग कर सकेंगे. मोर बिजली एप के जरिए रोजाना खपत की जानकारी उपलब्ध रहती है.

याचिका का परीक्षण कर निर्णय : चेयरमैन- विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमन्त वर्मा ने कहा कि वितरण कंपनी द्वारा पिछले दिनों रिवाइज पिटिशन दाखिल की गई है. इसमें स्मार्ट मीटर के सरचार्ज के लिए 367 करोड़ रुपए की मांग की गई है.

पहाड़ियों में चल रही एक निर्णायक लड़ाई में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों को घेरा, नक्सली संगठन ने शांति वार्ता की लगाई गुहार

जगदलपुर । आरएनएस

पहाडिय़ों में चल रही एक निर्णायक लड़ाई में सुरक्षाबलों के द्वारा नक्सलियों को चौतरफा घेरा जा चुका है। मोर्चे पर हिड़मा, देवा और विकास जैसे खतरनाक नक्सली कमांडरों के फंसे होने की जानकारी है जिसके बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) उत्तर-पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रूपेश की ओर से जारी पत्र में सबसे पहले बीजापुर-तेलंगाना सीमा पर तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ में तैनात सुरक्षाबल की संयुक्त कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग करते हुए सरकार से शांति वार्ता के लिए आगे आने की अपील की है.ब्यूरो के चिट्ठी में रूपेश ने साफ तौर पर कहा है कि बस्तर में बंदूक के दम पर शांति नहीं लाई जा सकती. उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही शांति वार्ता के लिए माहौल बनाने की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई।

चिट्ठी में हाल ही में शुरू हुए कागार ऑपरेशन का भी ज़िक्र किया गया है, जिस पर रूपेश ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की संयुक्त कार्रवाई वार्ता के माहौल को नुकसान पहुंचा रही है.

दाढ़ी बढ़ाकर छिप रहा था फरार फ्रॉड, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा

रायपुर । आरएनएस

चिटफंड धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली थी, लेकिन कानून से बचना आसान नहीं था। रायपुर पुलिस ने इस शातिर फ्रॉड को गिरफ्तार कर लिया है। विनायक होम्स एंड रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के एजेंट ने तीन गुना ब्याज का लालच देकर एक निवेशक से 6 लाख रुपये जमा करवा लिए थे। शुरू में सिर्फ 1 लाख रुपये ब्याज के रूप में लौटाया गया, लेकिन इसके बाद कंपनी अचानक बंद हो गई और डायरेक्टर्स फरार हो गए।

प्रभावित निवेशक की शिकायत पर मंदिर हसौद थाना, जिला रायपुर में वर्ष 2019 में अपराध क्रमांक 448/2019 धारा 420, 34 भादवि एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान कंपनी के एक डायरेक्टर फूलचंद बिसे को 25 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया।

मुख्य आरोपी जितेन्द्र बिसे उर्फ जीतू, जो कि लंबे समय से फरार था, वर्तमान में जशपुर जिले के एक पुराने धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद पाया गया। उसके खिलाफ थाना सिटी कोतवाली, जशपुर में अपराध क्रमांक 52/2018 दर्ज है। पुलिस ने सत्र न्यायालय रायपुर से प्रोडक्शन वारंट लेकर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया। आरोपी की पहचान छिपाने की कोशिश दाढ़ी बढ़ाकर की गई थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने उसे पहचान कर गिरफ्तार कर लिया।

नकली सोना गिरवी रखकर बैंक से लाखों का लोन लेने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

रायपुर । आरएनएस

राजधानी के ईएसएएफ स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड की देवेंन्द्र नगर शाखा में नकली सोना गिरवी रखकर लाखों रूपये लोन प्राप्त कर धोखाधड़ी करने वाले 01 अंतर्राज्यीय सहित तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार ई.एस.ए.एफ स्माल फ ाईनेंस बैंक लिमिटेड शाखा देवेन्द्र नगर में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत प्रार्थिया पूजा झा ने थाना देवेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि अनिल कुमार होतवानी निवासी मकान नंबर एफ-7 ब्लाक 7 चाण्डक्य काम्पलेक्स सेक्टर 03 देवेन्द्र नगर के द्वारा प्रार्थी के बैंक में दिनांक 18.04.2024 को बचत बैक खाता खुलवाया गया और दिनांक 18.04.2024 एवं 25.04.2024 को 02-02 गोल्ड लोन कुल 10 नग सोने की चूड़ी कुल वजनी 208.80 ग्राम बैंक में जमा कर कुल रकम 10,05,738 रूपये का लोन लिया गया था। अनिल होतवानी द्वारा गिरवी रखे गये सोने के चूड़ी को बैंक के इंटर्नल आडिट किये जाने पर नकली सोने का चूड़ी होना बताया गया। तब प्रार्थी द्वारा अन्य ज्वेलर्स से भी तस्दीक कराया गया जिनके द्वारा भी नकली सोना होना बताया गया। इस प्रकार अनिल होतवानी के द्वारा बैंक में नकली सोना गिरवी रखकर लोन प्राप्त कर धोखाधड़ी किया गया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुये थाना देवेन्द्र नगर पुलिस को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी देवेन्द्र नगर के नेतृत्व में थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से पूछताछ कर आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी अनिल कुमार होतवानी को पकडक़र पूछताछ करने आरोपी अनिल होतवानी द्वारा अपने साथी विक्की बाधवानी के साथ मिलकर नकली सोना को उक्त बैंक सहित कई अन्य बैंकों में गिरवी रखकर लोन प्राप्त करना तथा नकली सोना को आगरा (उ.प्र.) निवासी गौरव वर्मा से क्रय कर लाना बताया गया। जिस पर प्रकरण में संलिप्त आरोपी विक्की बाधवानी एवं गौरव वर्मा की पतासाजी कर उन्हें भी पकड़ा गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोबाईल फ ोन, नकली सोना, रसीद एवं पासबुक जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

क्रिकेट सट्टे के लिए म्यूल बैंक एकाउंट उपलब्ध कराने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार

रायपुर । आरएनएस

राजधानी की एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए क्रिकेट सट्टे के लिए म्यूल बैंक एकाउंट उपलब्ध कराने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।आरोपियों के कब्जे से घटना से संबंधित नगदी रकम 4,05,000 रूपये तथा 07 नग मोबाईल फ ोन जप्त किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी गौरांग कुमार वल्थरे ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके परिचित मोतीनगर टिकरापारा रायपुर निवासी अब्दुल्ला मेमन ने वर्ष 2024 में उसे बैंक में खाता खुलवाने बोला जिस पर वह उत्सुकतावश उसकी बातों में आकर बैंक में खाता खुलवाने राजी हुआ, तब अब्दुल्ला मेमन के कहने पर प्रार्थी उसके साथ जाकर एक जियो मोबाईल कंपनी का सिम खरीदा जिसे अब्दुल्ला मेमन अपने पास रख लिया और इण्डियन ओवरसीस बैंक शाखा समता कालोनी में ले जाकर प्रार्थी के नाम से बैंक में खाता खोलवाया तो खाता को भीअब्दुल्ला मेमन अपने पास रख लिया एवं बाद में वापस कर दूंगा बोला। कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला मेमन ने पुन: प्रार्थी को अपने पास बुलाकर उसके नाम से एयरटेल कंपनी का मोबाईल सिम खरीदवा कर बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पंण्डरी में ले जाकर उसके नाम पर खाता खुलवाकर 1-2 दिन में वापस करूंगा कहकर अपने पास खाता को रख लिया। इसी प्रकार अब्दुल्ला मेमन ने प्रार्थी के भाई प्रतीयुस वल्थरे को भी अपने साथ ले जाकर महाराष्ट्र बैंक शाखा श्याम नगर में खाता खुलवाकर अपने पास रख लिया, जिसे मांगने पर वह वापस नहीं कर रहा था। जिस पर प्रार्थी अपने बैंक खाता के बारे में इण्डियन ओवरसीस बैंक शाखा समता कालोनी में जाकर पता किया तो उसे पता चला कि इण्डियन ओवरसीस बैंक शाखा समता कालोनी के उसके खाता में बहुत अधिक मात्रा में रकम का लेन-देन हुआ है। जो कि प्रार्थी द्वारा बैंक खाता में रूपये पैसे का लेन-देन नहीं किया गया है। तब प्रार्थी को उक्त बैंक खाता एवं मोबाईल नंबर का दुरूपयोग होने की जानकारी हुई तोवह अब्दुल्ला मेमन के बारे में पता किया तो जानकारी प्राप्त हुई कि अब्दुल्ला मेमन गरीब परिवार व्यक्तियों को धोखे में रखकर बैंक खाता खुलवाकर अपने पास रखकर किसी अन्य व्यक्ति को पैसा लेकर खाता बेचता हैं, जिसके द्वारा बैंक खातो में अधिक मात्रा में रकम का लेन-देन कर खाता धारकों के साथ धोखधडी किया जाता है।

महादेव सट्टा एप मामले में उत्तराखण्ड में रायपुर पुलिस की रेड, एक अंतर्राज्यीय सहित कुल 7 सटोरिए गिरफ्तार

रायपुर । आरएनएस

रायपुर पुलिस ने उत्तराखंड के देहरादुन में बैठकर महादेव एप के पैनलों से ऑन लाईन सट्टा का संचालन कर रहे एक अंतर्राज्यीय सहित कुल 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। जिनमें रायपुर के चार सटोरिये शामिल है। पुलिस ने सटोरियों के कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त 45 नग मोबाईल फ ोन, 06 नग लैपटॉप, सहित राउटर एवं बैंक ए.टी.एम. कार्ड जप्त किया है।

पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिटतथा सायबर रेंज यूनिट को जुआ एवं सट्टा पर पूर्णरूपेण अंकुश लगाने हेतु जुआ, सट्टा एवं ऑन लाईन सट्टा संचालित करने वालों की पतासाजी कर उन पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में दिनांक 13.04.25 को स्थानीय इनपुट के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, सायबर रेंज यूनिट की टीम तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना देवेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत पंडरी ओव्हर ब्रीज के नीचे ऑनलाईन सट्टा खेलते आरोपी निखिल वाधवानी पिता स्व. सुरेश वाधवानी उम्र 31 साल निवासी दीपक कालोनी न्यू राजेन्द्र नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर को गिरफ्तार कर थाना देवेन्द्र नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। गिरफ्तार आरोपी निखिल वाधवानी से पूछताछ व तकनीकी विश्लेषण के आधार पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट व रेंज सायबर यूनिट की टीम द्वारा कोलकाता एवं गुवाहाटी (असम) में रेकी करते हुये कोलकाता एवं असम से कुल 14 आरोपियों को महादेव एप के पैनल एल 95 लोटस,लोटस 651,तथा लोटस 656 से सट्टा संचालित करते गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त 67 नग मोबाईल फोन, 08 नग लैपटॉप, 04 नग राउटर, 94 नग विभिन्न बैंकों के ए.टी.एम. कार्ड, 15 नग विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, 32 विभिन्न बैंकों के बैंक पासबुक, 03 बैंक चेकबुक, 01 नग सिक्युरिटी कैमरा, 04 नग पावर एक्सटेंशन बोर्ड तथा 03 कापी में लिखे सट्टा के पैसों का हिसाब-किताब जुमला कीमती लगभग 30,00,000 रूपये जप्त किया गया था।

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ व तकनीकी विश्लेषण के आधार पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा उत्तराखण्ड के देहरादून में रेकी करते हुये देहरादून स्थित एक होटल में रेड कार्यवाही करते हुये कुल 07 आरोपियों को ऑन लाईन सट्टा संचालित करते रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपियों द्वारा महादेव एप के पैनल क्रिकबज 89 से सट्टा संचालित किया जा रहा था। सभी सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त 45 नग मोबाईल फोन, 06 नग लैपटॉप, 02 नग राउटर, 04 नग बैंक ए.टी.एम. कार्ड तथा 02 नग पावर एक्सटेंशन बोर्ड जुमला कीमती लगभग 25,00,000 रूपये जप्त किया गया। पैनल संचालन के मुख्य सरगना आजाद चौक रायपुर निवासी शोभी उर्फ सैफ अली, फैज अली एवं अभिषेक उर्फ बाबू को चिन्हित किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी की जायेगी।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU